तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कृष्णा देवी बनाम जे.डी.ए. अपील संख्या 108 / 17(जीसीएमएस नम्बर 2017 / 00030)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने प्रस्तुत करने पर बहस सुनी गई। वकील श्री ज्ञानेश्वर बाढदार ने प्रार्थना पत्र विड्रो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में दिनांक 01.03.2024 की पेशी में नियत है। अपीलार्थीया प्रार्थीया उक्त अपील को चलाना नहीं चाहती है एव विड्रो कर खारिज करवाना चाहती है। न्यायहित में प्रकरण को आज की सुनवाई में रखा जाकर विड्रो किया जाना प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को विड्रो कर खारिज फरमाने की कृपा करें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थीया स्वंय ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थिया के पहचान पत्र को तस्दीक किया गया। अतः अपीलार्थीया का प्रा. पत्र विड्रो स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थीया स्वंय अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निणर्य की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो। (डॉ. आरूषि मलिक) संभागीय आयुक्त जयपुर संभागीय आयुक्त जयपुर	